

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, खल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)


माला सिंह बनाम राजस्थान सरकार  
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 63/2025


निर्णय दिनांक :- 20.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजु उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 91/92 व खाता संख्या 92/93 में अंकित नाम माहला सिंह पुत्र हरी सिंह के स्थान पर माहला सिंह उर्फ माला सिंह पुत्र हरी सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 20.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (राजस्थान) जिला

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00


  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (राजस्थान) जिला

क्रमांक: रीडर/2025/399

दिनांक: 20.06.2025

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



  
{श्योराम (आर.ए.एस.)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (राजस्थान) जिला